<u>न्यायालय</u>— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र. (आप.प्रक.क्मांक :- 961 / 2015)

<u>(संस्थित दिनांक :- 27 / 11 / 2015)</u>

म.प्र.राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :– मौ जिला–भिण्ड, म.प्र.

.....अभियोजन।

<u>//विरुद्ध//</u>

> ------<u>// निर्णय//</u>

(आज दिनांक : 04/09/2017 को घोषित)

01. आरोपी सोनू पर धारा 279, 337 एवं 338 भा.द.सं. एवं मोटर यान अधिनियम की धारा 03/181 एवं 146/196 के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :— 24/03/2015 को सुबह लगभग 09:00 बजे ग्राम बड़ेरा के सामने, उसके आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक जी.जे.01/ई.बी./6049 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलांकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलांकर अचानक बीच रोड़ पर बिना इंडीकेटर जलाएं एक दम से मोड़ा, जिससे आहतगण की मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 07/एम.टी./9169 उसकी मोटर साईकिल से टकरा गई, जिससे फरियादी संदीप जैन को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति एवं आहत आदर्श को टक्कर मारकर उपहति कारित की एवं उक्त वाहन को बिना वैध लाईसेंस एवं बिना बीमा के चलाया।

02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना निर्विवादित एक तथ्य है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :— 24/03/2015 को सुबह लगभग 09:00 बजे ग्राम बड़ेरा के सामने, वाहन मोटर साईकिल कमांक जी.जे.01/ई.बी./6049 के चालक द्वारा उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर अचानक मोड़कर उसकी मोटर साईकिल कमांक एम.पी.07/एम.टी./9169 में टक्कर मारकर उसे एवं आदर्श को उपहित कारित करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी संदीप जैन द्वारा उसी दिनांक को थाना मौ में की जाने पर, थाना मौ में वाहन मोटर साईकिल कमांक जी.जे.01/ई.बी./6049 के चालक के विरूद्ध अपराध कमांक 68/2015 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा—मौका बनाया गया। घटनास्थल से मोटर साईकिल कमांक जी.जे.01/ई.बी./6049 जब्त

कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी सोनू परिहार को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आहत संदीप जैन के एक्स—रे परीक्षण रिपोर्ट में अस्थिभंग होने का उल्लेख होने के कारण आरोपी के विरुद्ध धारा 338 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। फरियादी संदीप जैन एवं साक्षी शिखर के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

- 04. अभियुक्त सोनू परिहार के विरूद्ध धारा 279, 337 एवं 338 भा.द.सं. एवं धारा 03/181 एवं 146/196 मोटर यान अधिनियम के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपी एवं फरियादी/आहतगण के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त को धारा 337 एवं 338 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरूद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फॅसाया जाना व्यक्त किया।
- 06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. क्या आरोपी सोनू परिहार ने दिनांक :— 24/03/2015 को सुबह लगभग 09:00 बजे ग्राम बड़ेरा के सामने, उसके आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक जी.जे.01/ई.बी./6049 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?
- 02. क्या आरोपी पहलवान ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध लाईसेंस एवं बिना बीमा के चलाया?
 - 03. अंतिम निष्कर्ष?

<u>सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष</u> विचारणीय बिन्दु कमांक : 01 एवं 02

- 07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 08. फरियादी संदीप जैन अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 06 / 07 / 2017 से लगभग दो वर्ष पूर्व की होकर सुबह 09:00 बजे की है। वह अपने छोटे भाई आदर्श के साथ मोटर साईकिल कमांक एम.पी.07 / एम.टी. / 9169 से दंदरौआ

से वापस आ रहे थे, उनके आगे भी एक मोटर साईकिल चल रही थी. तभी बडेरा के पास उसकी मोटर साईकिल एकदम गिर गई थी. जिससे उसके दाहिने बखा, बाये हाथ के पंजे में एवं उसके भाई आदर्श की कमर एवं अन्य जगह चोटें आई थी। साक्षी आगे कहता है कि घटना की रिपोर्ट उसके द्वारा थाना मौ में की गई थी, जो प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा–मौका प्र.पी.05 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने इस संबंध में उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी संदीप जैन अ.सा.०२ ने आरोपी सोनू परिहार द्वारा दिनांक :--24 / 03 / 15 को सुबह लगभग 09:00 बजे ग्राम बर्डरा के सामने, उसके आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक जी.जे.01 / ई.बी. / 6049 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने एवं उक्त वाहन को बिना वैध लाईसेंस एवं बिना बीमा के चलाने का तथ्य नहीं बताया है। इस वावत फरियादी संदीप जैन अ.सा.02 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 एवं पुलिस कथन प्र.पी.06 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है।

अभियोजन साक्षी अवनीश शर्मा अ.सा.०३ का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि दिनांक : 24 / 03 / 2015 को थाना मौ में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना मौ के अपराध कमांक 68 / 2015 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही फरियादी संदीप जैन के बताये अनुसार घटनास्थल का नक्शा–मौका प्र.पी.05 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा फरियादी संदीप जैन एवं शिखर चन्द्र जैन के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, जिनमें कुछ घटाया–बढाया नहीं था। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 24 / 03 / 2015 को ही घटनास्थल से मोटर साईकिल क्रमांक जी.जे.01 / ई.बी. / 6049 को जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.08 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक : 02/04/2015 को आरोपी सोनू को साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफतारी पंचनामा प्र.पी.07 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी से उक्त मोटर साईकिल की रजिस्ट्रेशन की प्रति जब्त कर जब्ती पचंनामा प्र.पी.09 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। विवेचक अवनीश शर्मा अ.सा.03 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि उसके द्वारा आरोपी सोनू से वाहन चालन अनुज्ञप्ति, जब्तशुदा वाहन का बीमा प्रस्तुत किये जाने के लिए कहने पर भी उसके द्वारा उक्त अनुज्ञप्ति एवं बीमा प्रस्तृत नहीं किया गया था। विवेचक अवनीश शर्मा अ.सा.03 द्वारा उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया गया है कि आरोपी सोन् के द्वारा जब्तशुदा मोटर साईकिल कमांक जी.जे.01 / ई.बी. / 6049

को बिना चालन अनुज्ञप्ति एवं बिना बीमा के चलाया गया।

- 10. आरोपी तथा फरियादी / आहतगण के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी संदीप जैन अ.सा.02 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।
- 11. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी सोनू परिहार ने दिनांक :— 24/03/15 को सुबह लगभग 09:00 बजे ग्राम बड़ेरा के सामने, उसके आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल कमांक जी.जे.01/ई.बी./6049 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को बिना वैध लाईसेंस एवं बिना बीमा के चलाया।

अंतिम निष्कर्ष

- 12. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी सोनू परिहार सिंह के विरूद्ध धारा 279 भा.द.सं. एवं धारा 03/181 एवं 146/196 मोटर यान अधिनियम के आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी सोनू परिहार को भा. द.सं. की धारा 279 एवं धारा 03/181 एवं 146/196 मोटर यान अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 13. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।
- 14. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मोटर साईकिल क्रमांक जी.जे.01 / ई.बी. / 6049 अपील अवधि पश्चात् अपील ना होने की दशा में उसके पंजीकृत स्वामी को प्रदान कर व्ययनित किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद